न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **453/2018**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रतनलाल 2. मदनलाल पुत्रगण पन्नालाल माली निवासी– गुडाकला तहसील सोजत पाली।		1. मृतक तेजराज के वैदिक वारिसानः– 1.1 राजेन्द्र कुमार पुत्र तेजराज 1.2 अशोक कुमार पुत्र तेजराज जैन निवासी– गुडाकला आदर्श स्कूल, तहसील सोजत पाली। 2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार सोजत, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 17.09.2012 जो उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा प्रकरण संख्या 13/2010 अनवान तेजराज बनाम मुकाराम उर्फ मुकिया में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 6 जनवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 तेजराज के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136, 110, 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा गुडा कला की सीनियर हायर सैकेण्डरी व पुलिस चौकी के पास आबादी भूमि आई हुई है जिसको पुराने सेटलमेन्ट के नक्शें में बताया है उस अनुसार ख0सं0 119, 120, 121, 122, 125, 125/1 आबादी भूमि है। उस अनुसार ख0सं0 118, 120, 121 के नये ख0सं0 195, 196, 197 बने है जिसमें आबादी भूमि अलग से इन्द्राजात की गई है। नक्शे अनुसार आबादी भूमि ख0सं0 118, 120, 121 बताई गई है उसी अनुसार ख0सं0 119, 120, 121, 122, 125, 125/1 भूमि बताई गई है परन्तु बरवक्त सेटलमेन्ट नक्शा तरमीम हुआ उसमें आबादी भूमि का इन्द्राजात खातेदारी भूमि में मुकाराम उर्फ मुकिया माली के नाम नक्शे में इन्द्राजात कर दिया गया। ख0सं0 197, 198 की 0.04 हैक्टर भूमि व ख0सं0 199, 200, 204 की करीब 0.07 हैक्टर भूमि का गलत इन्द्राजात करते हुए खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि मुख्य डामर सडक से 97 फीट चौडाई व 216 फीट लम्बाई आबादी भूमि की है जिसमें सार्वजनिक बावडी, पिचका, उवाली, पानी की टंकी अरहठ आदि बने हुए है जो गावाई है जिसे गांव वाले उपयोग एवं उपभोग करते है। नये सेटलमेन्ट का नक्शा प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई। उक्तानुसार गलत इन्द्राजात नक्शें में दर्ज करते हुए खातेदारी में प्रविष्ठि कर दी गई है जो निरस्त योग्य है। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त फरमाया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थी मुकाराम व तहसीलदार को

तलब किया गया, अप्रार्थी मुकाराम के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की। तहसीलदार, सोजत की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.09.2012 के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया कि मौजा ग्राम गुडा कला की जमाबन्दी सम्वत 2067–70 के खाता संख्या 214 में दर्ज ख0सं0 198 रकबा 0.9000 हैक्टर में बढी हुई 0.04 हैक्टर भूमि कम करते हुए ख0सं0 195 में दर्ज करे, इसी अनुसार नक्शे में तरमीम की जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 24.09.2018 को तब हुई जब हल्का पटवारी ने अपीलान्ट को यह कहा कि इसमें से 0.04 हैक्टर रकबा ख0सं0 198 में से कब्जा छोडना पडेगा और यह जमीन ख0सं0 195 में जोडी जायेगी तब अपीलान्ट रतनलाल ने यह कहा कि यह कैसे सम्भव है तो उन्होनें आदेश की फोटोप्रति बताई तब अपीलान्ट तुरन्त ही सोजत गया और नकल आवेदन करने दिनांक 30.9.2018 को नकल प्राप्त की, तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जावें।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश कानूनी व वाक्यातों के विरूद्ध है क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। जिस रोज आदेश पारित हुआ उस वक्त पक्षकार मुकाराम उर्फ मुकिया का स्वर्गवास हो चुका था और पन्नाराम का देहान्त भी हो चुका था। उक्त आदेश मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है जो कानून शून्य है और निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के आधेवक्ता ने यह कथन किया कि ग्राम गुडा कला तहसील सोजत के ख0सं0 196 गैर मुमकीन बेरा, ख0सं0 197 गैर मुमकीन बावडी व ख0सं0 198 किस्म चाही व जाव की भूमि है व अपीलान्ट के पूर्वजों की खातेदारी व कब्जाशुदा है जहॉ पूर्वजो के बने हुए मकानात बने हुए है व रहवास ख0सं0 196, 197 में आये हुए है जिस भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने 0.04 हैक्टर रकबा कम दिया गया है और उसे ख0सं0 195 में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया जो किसी सूरत में नहीं दिया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व गत व वर्तमान नम्बर का मिलान क्षेत्रफल गत व हाल दोनों नक्शों को पत्रावली पर लेकर मौके पर भूमिधारी को भेजकर सर्वे करवाना था और कौनसे खसरे मे कम पड रहा है और कौनसे में ज्यादा जुडा उसकी जानकारी व जॉच कराके साक्ष्य सबूत लेकर ही निर्णय पारित करना था, लेकिन ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया जो न केवल न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों पर गहरा कुठाराघात है जबकि अपीलान्ट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अतः

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सोजत की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ख0सं0 195 की रकबा 0.04 हैक्टर भूमि ख0सं0 196 से 198 में बढी है जो शुद्धि योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से उचित है एवं यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 17.09.2012 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा मुकाराम उर्फ मुकिया माली के विरूद्ध प्रकरण संख्या 13/2010 में दिनांक 17.9.2012 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट मुकाराम उर्फ मुकिया की मृत्यु दिनांक 08.101979 को ही हो चुकी थी। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो एकपक्षीय रूप से पारित किया जाना प्रकट है। इसके अतिरिक्त मृतक खातेदार के विधिक वारिसान को विधिवत सुनवाई व अपना पक्ष रखने का अवसर दिये जाने का अभाव भी पाया गया है। ऐसे में उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर हस्तगत प्रकरण में पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय क। रिमाण्ड किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2012 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित प्रकरण में नये सिरे से वादग्रस्त भूमि के हितबद्ध पक्षकारान की विधिवत सुनवाई उपरान्त पुनः आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 06 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि
भंवरसिंह
रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर